

अंकतालिका में नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र।
2. विद्यालय का प्राचार्य डाइट के नाम अग्रेषण पत्र। (जहां से कक्षा 5/8 उत्तीर्ण की है)
3. विद्यालय का **S.R.** रजि. वास्तविक और प्रमाणित प्रति। (**CBEO** के आदेश क्रमांक दर्ज कर अंग्रेजी में सही लिख कर संस्थाप्रधान द्वारा सील लगाकर प्रमाणित किया जावे।)
4. **CBEO** आदेश की प्रति।
5. ऑनलाईन प्रपत्र-5 की प्रमाणित प्रति। (राजकीय विद्यालयों के लिए)
पीएसपी पोर्टल से कक्षा प्रोफाइल प्रमाणित प्रति। (निजी विद्यालयों के लिए)
अथवा
संशोधित **T.C.** (अगर अब विद्यार्थी अन्यत्र विद्यालय में अध्ययनरत है)
6. कक्षा-5/8 की वास्तविक अंकतालिका साथ लावें।

नोट—

- नाम परिवर्तन में **CBEO** आदेश के लिए “कार्यालय आदेश प्रपत्र” काम में लेवें।
- अंकतालिका में **Spelling** परिवर्तन हेतु “संशोधित नामावली प्रपत्र” काम में लेवें।

प्राचार्य
डाइट चूनावढ.

अध्यक्ष, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ डाईट चूनावढ़
संशोधित नामावली (समेकित सूचि) सत्र..... कक्षा.....

विद्यालय का नाम.....क्षेत्र ग्रामीण/शहरी.....
 पंचायत समिति.....परीक्षा केन्द्र का नाम.....

प्रवेश क्रमांक	प्रवेश दिनांक	परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी बड़े अक्षरों में)	पिता का नाम (अंग्रेजी बड़े अक्षरों में)	माता का नाम (अंग्रेजी बड़े अक्षरों में)	जन्म तिथि अंको में	तृतीय भाषा	लिंग F/M	जाति वर्ग

नोट— 1. जाति वर्ग में केवल SC, ST तथा अन्य में से एक लिखें। 2. विकलांग छात्र/छात्रा का नाम लाल स्याही से अंकित करें। 3. लिंग में F (लड़की) M (लड़का) हेतु लिखें। 4. तृतीय भाषा संस्कृत/पंजाबी/उर्दू लिखें। 5. नामावली की कम से कम तीन प्रतियां संबंधित विद्यालय, सीबीईओ एवं डाईट आदि हेतु तैयार की जायें।
 मैंने व्यक्तिगत रूप से नामावली की पुनः जाँच कर ली है, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर मेरी व्यक्तिशः जिम्मेवारी होगी।

ग्रामीण									शहरी							
राजकीय					अराजकीय				राजकीय				अराजकीय			
	SC	ST	GEN.	TOTAL	SC	ST	GEN.	TOTAL	SC	ST	GEN.	TOTAL	SC	ST	GEN.	TOTAL
छात्र																
छात्रा																

हस्ताक्षर तैयारकर्ता
 नाम व पद.....
 उपरोक्त नियमित/संशोधित नामावली प्रमाणित की जाती है

हस्ताक्षर जाँचकर्ता
 नाम व पद.....

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
 मय सील एवं मो0नं0

हस्ताक्षर मय सील
 संबंधित PEE0/UCEEO

प्रति हस्ताक्षर मय सील
 संबंधित CBEO

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षाजिला

कार्यालय आदेश

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / संस्थाप्रधान
(विद्यालय का नाम व पता) के पत्र क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा विद्यार्थी
पुत्र / पुत्री.....कक्षा.....सत्र.....की अंकतालिका / विद्यालय अभिलेख में
विद्यार्थी / पिता / माता के नाम / जन्मतिथि में संशोधन हेतु प्रकरण कार्यालय हाजा को प्राप्त हुआ है।
प्रकरण में वांछित संशोधन हेतु राजस्थान शिक्षा विभागीय नियमावली 1997 के अध्याय 9 के बिन्दु संख्या
9.14 एवं श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक—शिविरा—माध्य / मा—स / माता—पिता
नाम / 2014—19 / 203 दिनांक 15.10.2019 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सक्षम स्तर से जारी समस्त प्रमाण
पत्र प्राप्त कर लिये हैं, तथा विद्यार्थी से संबंधित विद्यालय के मूल अभिलेखों की गहनता से जाँच कर ली
गई है। प्रकरण में वांछित संशोधन किया जाना उचित पाया गया है। अतः श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक—शिविरा—माध्य / मा—स / 22411(9) / जन्मतिथि / 2016 / 139 दिनांक
22.11.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्न विवरणानुसार वांछित संशोधन किये जाने की स्वीकृति
एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

विद्यार्थी का एस0आर0 न0प्रवेश दिनांक.....प्रवेशित कक्षा.....

क्र0 स0	विवरण	नाम विद्यार्थी	पिता का नाम	माता का नाम	विद्यार्थी की जन्मतिथि
1	एस.आर. रजिस्टर में दर्ज विवरण				
2	अंकतालिका में दर्ज विवरण (अंग्रेजी में)				
3	वांछित संशोधन (कैपीटल अंग्रेजी में)				

नोट:— वांछित संशोधन वाली पंक्ति के संबंधित कॉलम में यदि लागू नहीं हो तो **NA** दर्ज करें।

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि वह विद्यार्थी से संबंधित मूल अभिलेखों एवं
ऑनलाईन पोर्टल में आवश्यक संशोधन किया जाकर निम्न हस्ताक्षकर्ता को सुचित करें। यदि विद्यार्थी
वर्तमान में अन्य विद्यालय में अध्ययनरत है तो संशोधित टी0सी0 जारी कर वर्तमान विद्यालय को भी अपने
अभिलेखों में एवं ऑनलाईन पोर्टल पर वांछित संशोधन करने हेतु आवश्यक सूचना प्रेषित करें।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

दिनांक

क्रमांक—

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्राचार्य डाईट चूनावड़ श्रीगंगानगर।
2. संबंधित पीईईओ / यूसीईईओ.....
3. संबंधित संस्था प्रधान.....
4. संबंधित विद्यार्थी / अभिभावक.....
5. कार्यालय प्रति।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी